न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2023-042(GCMS 2023-89)

1. रणवीर सिंह पुत्र रामसिंह
2. हनुमान सिंह पुत्र रामसिंह
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र रामसिंह
4. चैन सिंह पुत्र रामसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण देवातडा
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. रामसिंह पुत्र किशनसिंह
2. रघुवीरसिंह पुत्र रामसिंह
3. पुष्पाकंवर पत्नी रामसिंह
4. मंजुकंवर पत्नी भंवरसिंह
5. सरोजकंवर पत्नी शंकरसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण देवातडा
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

6. विनोदकंवर पुत्री रामसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह
   जाति राजपूत, निवासी प्लाट नम्बर 39ख
   रामनगर, पण्डितजी की नाडी, जयपुर
7. रामप्यारी पत्नी अर्जुनराम
   जाति विश्नोई, निवासी विष्णुनगर (नान्दीया प्रभावती)
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
8. तहसीलदार भोपालगढ
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 20 जनवरी 2023 राजस्व प्रकरण संख्या 278/2022 रणवीरसिंह व अन्य बनाम रामसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बाबूलाल विश्नोई एवं श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1,4 व 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

12.10.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 12 अक्तूबर 2023

अपीलाण्ड्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 278/2022 रघुवीरसिंह व अन्य बनाम रामसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा में दिनांक 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ड्स-प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश किया जाना जाहिर करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न भूमियों का विवरण निम्नानुसार अंकित किया गया -

कमांक	खसरा सं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	गांव	विशेष विवरण
1. मु. मदनकंवर पत्नी किशनसिंह के खुदकाश्त की भूमि					
1	138	32	6	देवातडा	खसरा न. 139 की भूमि मु. मदनकंवर ने अपने जीवनकाल में ही बख्शीश कर दी
2	139	80	14	देवातडा	
3	209	47	18	देवातडा	
4	217	36	10	देवातडा	
5	238	18	8	देवातडा	
	योग	215	16		
2- मु. लूणकंवर पत्नी माधोसिंह 1/2 व रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह 1/2 हिस्सा की भूमियां					
1	615/1	0	1	देवातडा	
2	615/2	0	3	देवातडा	
3	615	29	16	देवातडा	
	योग	30	0		

12.10.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3- रणजीतसिंह वल्द मोतीसिंह की खातेदारी की भूमि

1	553	15	0	देवातडा	
2	556	14	0	देवातडा	
3	557	13	15	देवातडा	
4	554	0	2	देवातडा	
5	555	0	1	देवातडा	
6	101	16	14	देवातडा	
7	626	14	13	देवातडा	
8	628	8	19	देवातडा	
9	638	3	10	देवातडा	
10	639	7	14	देवातडा	
11	640	27	19	देवातडा	
12	641	1	10	देवातडा	
13	884	302	14	देवातडा	
14	884/1	60	16	देवातडा	
15	1025	8	5	देवातडा	
16	1026	2	6	देवातडा	
17	1027	32	4	देवातडा	
18	1028	18	11	देवातडा	
19	1032	6	3	देवातडा	
20	1041	5	0	देवातडा	
21	27	2	14	देवातडा	
22	58	35	15	देवातडा	
23	60	4	16	देवातडा	
24	63	4	12	देवातडा	
25	64	7	14	देवातडा	
26	1131	29	4	देवातडा	
27	558	2	7	देवातडा	
28	583	14	10	देवातडा	
	योग	664	8		

4- रेस्पो. संख्या एक द्वारा बेचान/अंतरित की गयी भूमिया

	1023	25	5	देवातडा	म्युटेशन संख्या 236
	1021	0	1	देवातडा	

12.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

	1022	0	3	देवातडा	
	1020	5	5	देवातडा	
	58	35	15	देवातडा	म्युटेशन संख्या 76 बेचान
	101	19	14	देवातडा	म्युटेशन संख्या 10 बेचान
	884	302	14	देवातडा	म्युटेशन संख्या 142 से अपनी पत्नी पुष्पादेवी एवं रघुवीरसिंह की खातेदारी में दर्ज करवा दी गयी
	553	15	0	देवातडा	म्युटेशन संख्या 141 . माजीसा मदनकंवर के खातेदारी में बंटवारा दिखाते हुए बेचान कर दी
	556	14	0	देवातडा	
	557	13	15	देवातडा	
	558	0	2	देवातडा	
	559			देवातडा	
	583	14	10	देवातडा	
	554	0	2	देवातडा	
	555	0	1	देवातडा	
	योग	66	14		
	1131	29	1	देवातडा	म्युटेशन संख्या 360 बेचान
	616				इनमें अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए उसमें से 1/2 अर्थात कुल रकबा का 1/4 हिस्सा बेचान कर दिया जिसका म्युटेशन संख्या 429 भरा गया व बाकी बची 1/4 हिस्सा भूमि का बेचान भी कर दिया गया, जिसका म्युटेशन संख्या 490 भरा गया
	622				
	625				
	623				
	624				
	योग	51	8		
	615	29	11	देवातडा	बेचान कर दिया जिसका म्युटेशन संख्या 854 भरा गया
	615/1	0	1	देवातडा	
	615/2	0	3	देवातडा	
	योग	29	15		

12.x.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोट - रेस्पो. संख्या एक द्वारा बेचान/अंतरित करना बतायी गयी भूमियों के जो खसरा नम्बर घेरे में दर्ज है, वे खसरा संख्या बिन्दु संख्या 1 से 3 में वर्णित भूमियों में अंकित नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20 जनवरी 2023 को जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी भूमियां है, इस तथ्य का रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में अथवा अन्य किसी स्तर पर खण्डन नहीं किया गया है। मिसल बंदोबस्त में उक्त आराजियात रणजीतसिंह के नाम दर्ज हुई, रणजीतसिंह का देहान्त 1955 में हुआ, किन्तु इससे पूर्व ही उनके पुत्र जोरावरसिंह का देहान्त सन 1925 में एवं पौत्र किशनसिंह का देहान्त सन 1940 में हो गया। रेस्पो. संख्या एक उक्त किशनसिंह का पुत्र है, किन्तु अपने पिता के देहान्त के बाद परदादा रणजीतसिंह के संरक्षण में रहने से रणजीतसिंह के देहान्त के बाद रामसिंह की वल्दियत रणजीतसिंह दर्शाते हुए राजस्व रिकार्ड में इंद्राजात कर दिये गये। इस प्रकार मामले में रामसिंह पुत्र किशनसिंह तथा रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह दोनों एक ही है और वादग्रस्त आराजी रामसिंह को विरासतन प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार तथा रेस्पो. संख्या दो उक्त रामसिंह (रेस्पो. संख्या एक) के पुत्र है तथा रेस्पो. संख्या 6 रामसिह की पुत्री है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में विरासतन अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 4, रेस्पो. संख्या 1, 2 व 6 प्रत्येक का 1/7-1/7 हक-हिस्सा बनता है। किन्तु रेस्पो. संख्या एक समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान/हस्तान्तरण किया जा चुका है और वर्तमान में रामसिंह पुत्र किशनसिंह / रामसिंह पुत्र रणजीतसिंह (वस्तुतः दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात रेस्पो. संख्या एक है) के नाम राजस्व रिकार्ड में जो भूमियां दर्ज बची है (बरवक्त बहस प्रस्तुत सूची अनुसार विवरण

12.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी

निम्नानुसार है), उनका भी येन-केन-प्रकेरेण बेचान अथवा हस्तान्तरण करने पर आमदा है।

क.सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	स्वयं का हिस्सा	
			अंश	रकबा हैक्टेयर में
1	1167/557	1.6917	पूरा	1.6917
2	209	7.7538	पूरा	7.7538
3	217	1.0522	पूरा	1.0522
4	553	2.4281	पूरा	2.4281
5	554	0.0162	पूरा	0.0162
6	555	0.0081	पूरा	0.0081
7	556	2.2662	पूरा	2.2662
8	689	5.3823	½ हिस्सा	2.6911
9	690	0.0081	½ हिस्सा	0.0040
10	691	0.0243	½ हिस्सा	0.0121
योग	10 खसरान			17.9236
हैक्टेयर को बीघा में कन्वर्ड करने पर कुल जमीन 100 बीघा 07 विस्वा अर्था 110-07-00 बीघा होती है।				

रेस्पों संख्या एक इन भूमियों में से भी बेचान/हस्तान्तरण करने पर आमदा है। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक ऐसा करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया गया और वादग्रस्त पुश्तैनी भूमियों को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित करने की बजाय अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र बाबत

12.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थगन आदेश जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो. संख्या एक की बहिन द्वारा उसके पक्ष में हकतर्क की गयी भूमियां भी सम्मिलित है, अतः समग्र वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी भूमि नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा आलौच्य मामले में किशनसिंह की पुत्रियों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और सजरा खानदान भी सहीं अंकित नहीं किया गया है। रेस्पो. संख्या एक द्वारा पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय बेचान किया गया है। रेस्पो. संख्या एक व उसकी पत्नी रेस्पो. संख्या तीन दोनों ही वयोवृद्ध एवं बीमार है, कानूनन उनके जीवनकाल में अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त आराजियात में कोई हिस्सा देय नहीं है किन्तु उसके उपरान्त भी रेस्पो. संख्या एक की सेवा सुश्रुषा किये बिना एवं वृद्धावस्था में देखभाल किये बिना ही अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी हडपना चाहते है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि होने अथवा नहीं होने तथा पक्षकारान के हक-हकूक व स्वत्वों बाबत मूल वाद में विधिवत कार्यवाही करते पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के समय विनिश्चयन किया जाना है, वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील प्रकरण के स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार निष्कर्ष पारित किया जाना व्यावहारिक एवं

12.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायोचित नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट्स की ओर से बतायी गयी समग्र आराजियात में से रेस्पो. संख्या एक द्वारा जरिये बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से जिन व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, उन सभी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और अपील मीमो के पद संख्या 7 में खसरा संख्या 1167/557, 209, 217, 557, 554, 555, 556, 1168, 558, 583, 27, 884 वर्तमान में रेस्पो. संख्या एक रामसिंह की खातेदारी में दर्ज होना अंकित करते हुए संशोधित अपील मीमो के अंत में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने तथा मूल वाद लंबित रहने तक वादग्रस्त आराजियात बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने, अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण किसी भी रूप में नहीं करने, राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई तब्दिली नहीं किये जाने एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई कच्चा-पक्का निर्माण नहीं किये जाने संबंधित आदेश पारित किये जाने की इस्तदुआ की है। अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख एवं पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने के उपरान्त प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजियात बाबत रेस्पो. संख्या एक रामसिंह को खातेदारी अधिकार पुश्तैनी एवं उसके पक्ष में किये गये हकतर्क, दोनों के मिश्रित आधार पर अर्जित होना प्रतीत होता है। अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से रेस्पो. संख्या एक का मात्र 1/7 हिस्सा होना मगर उसके द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बेचान / हस्तान्तरण किया जाना जाहिर किया गया है, किन्तु सभी केतागण/हस्तान्तरितियों को मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इसी कम में किशनसिंह की पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया जाने बाबत अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन भी उल्लेखनीय है। मूल वाद, अपील मीमो, बरवक्त बहस आराजियात का प्रस्तुत विवरण एवं राजस्व रिकार्ड आदि में खसरा नम्बरान की समरूपता नहीं है। किन्तु प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजियात उभयपक्षकारान की

12.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है जिसमें से समय-समय पर रेस्पो. संख्या एक द्वारा बेचान-हस्तान्तरण किया जाना भी प्रकट है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हक-हकूक को संरक्षित करने की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर रेस्पो. संख्या एक को पाबन्द किया जाता है आज दिनांक के बाद से मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात में से अपने 1/7 हिस्से से अधिक भूमि का किसी भी प्रकार से बेचान अथवा हस्तान्तरण नहीं करे। इसी अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जनवरी 2023 संशोधित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर